

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अप  
हुक्म को  
में जा

सेवासे

09/11/2023

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कण बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद घना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल सुमार हो, वर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SUC)  
बायतु  
जिला - बायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 01

दिनांक : 09/07/2023

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गोकलाराम पुत्र लाखाराम वगैरा 2  
जाति जाट, निवासी मंहिगोणी मुढो की ढाणी ,  
बायतु पनजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)
1. मानाराम पुत्र भीखाराम वगैरा 23,  
जाति जाट, निवासी मंहिगोणी मुढो की ढाणी  
बायतु पनजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 277 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - मंहिगोणी मुढो की ढाणी, पटवार मण्डल - बायतु पनजी , तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 143, 492/145, 497/145 रकबा क्रमशः 0.1375, 3.13897, 19.8610 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक : वाद / 2022 / 02-06

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गोकलाराम पुत्र लाखाराम वगैरा 2
4. विप्रार्थी श्री मानाराम पुत्र भीखाराम वगैरा 23
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/नागाणा।

9/7/2023  
(मनोज)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 09/07/2023

9/7/2023  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-बाड़मेर